Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 29 शनिवार, फरीदाबाद, 16-31 जनवरी, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

राठौरों के लिये अलग हैं गिरफ्तारी कानून

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता के भारी आक्रोश के चलते पंचकूला पुलिस को शंभू प्रताप राठौर तथा उनके इशारों पर नाचने वाले कुछ थानेदारों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने पड़े तो कर दिये। लेकिन सबूतों के अभाव में गिरफ़्तारी नहीं की जा रही है, बेशक अदालतों से उन्हें गिरफ़्तारी पूर्व जमानत नहीं मिल पाई, फ़िर भी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करना जरूरी नहीं समझती। तर्क यह दिया जा रहा है कि यदि अभी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया तो सबूतों के अभाव में कोर्ट उनकी नियमित जमानत मंजूर कर लेगी और उसके बाद सीबीआई को भी आगामी कार्यवाही करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे कानून भी यही है कि किसी मुकदमे के दर्ज होने के बाद तफ़्तीश करने के लिये गिरफ़्तारी कोई जरूरी नहीं होती। गिरफ़्तारी तभी अमल में लाई जाये जब सबूत काबिले गिरफ़्तारी सफ़ा मिसल पर गुज़र जायें।

लेकिन यह कानून केवल प्रभावशाली राठौरों पर ही लागू होता है। देश भर में दर्ज होने वाले मुकदमों में पुलिस तुरंत गिरफ़्तारी के लिये दौड़ पड़ती है। वाजिब रिश्वत मिल गयी तो गिरफ़्तारी ना करने का कानून और ना मिली तो हवालात भेजने का कानून लागू होता है। इस तरह की पुलिस कार्यवाहियों पर अदालतों में जो होता है, वह उससे भी बुरा; वाजिब 'फ़ीस'

लेकिन इस देश में कोई यह पूछने वाला नहीं है कि बिना सबूत पुलिस किसी को गिरफ़्तार कैसे कर लाई और अदालत में पेश कर दिये जाने के बाद अदालतों ने अपनी क्यों ऐसी-तैसी कराई? दरअसल, अदालतें तो केवल पुलिस द्वारा किये गये गैरकानूनी एवं अमानवीय कृत्यों पर कानून की मुहर लगाने को बैठी हैं, असल ताकत तो पुलिस ने हथिया रखी हैं। यह अंग्रेज़ी राज को चलाने के लिये जरूरी समझा गया था जो आज के शासकों को भी रास आ रहा है।

पहुंच गयी तो जमानत, नहीं तो रिमांड पुलिस हिरासत और उसके बाद न्यायिक हिरासत।

अभी पिछले दिनों पृथला गांव की दो बहनों की रेलवे लाइन पर मिली लाशों को लेकर पुलिस ने जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, उसमें दो लड़कों व एक लड़की को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उसके लिये पुलिस ने क्या सबूत काबिले गिरफ़्तारी जुटाये थे? और अदालतों ने क्या सबूत देख कर उन्हें महीनों तक हिरासत में रहने दिया? फ़िर जब केस सीबीआई के पास पहुंचा तो उन्हें फिर सीबीआई हिरासत में दिया गया। महीनों तक पुलिस उन्हें जानवरों की तरह मार पीट कर भी जब कोई सबूत नहीं जुटा पाई तो खुद पुलिस को ही उन्हें डिसचार्ज कराना पड़ा।

लेकिन इस देश में कोई यह पूछने वाला नहीं है कि बिना सबूत पुलिस किसी को गिरफ़्तार कैसे कर लाई और अदालत में पेश कर दिये जाने के बाद अदालतों ने अपनी क्या ऐसी-तैसी कराई? दरअसल, अदालतें तो केवल पुलिस द्वारा किये गये गैरकानूनी एवं अमानवीय कृत्यों पर कानून की मुहर लगाने को बैठी हैं, असल ताकत तो पुलिस ने हथिया रखी हैं। यह अंग्रेज़ी राज को चलाने के लिये जरूरी समझा गया था जो आज के शासकों को भी रास आ रहा है।

इसी तरह मज़दूर मोर्चा के संपादक पर दिनांक 15.4.92 को एक मुकदमा नंबर 202 भादंसं की धारा 420, 267, 468, 471 के अंतर्गत थाना सेंट्रल में दर्ज किया गया। इस मुकदमें की तारीफ़ यह थी कि इसमें शिकायतकर्ता तत्कालीन ज़िला उपायुक्त की पत्नी रंजू प्रसाद थीं जो डाक विभाग में वरिष्ठ अधीक्षक थीं। आइएएस लॉबी के भारी दबाव के चलते तत्कालीन ज़िला पुलिस अधीक्षक पी.वी. राठी को उक्त झूठा मुकदमा दर्ज करना पड़ा, लेकिन सच्चाई से परिचित तथा अपने काम पर पकड़ होने के चलते उन्होंने 15 दिन के भीतर बिना गिरफ़्तारी किये, तत्कालीन एसएचओ रिसाल सिंह से तफ़्तीश पूरी करा कर अखराज (कैंसेलेशन) रिपोर्ट कोर्ट में भिजवा दी थी।

शेष पेज 2 पर

सीएम के भतीजे राममेहर द्वारा

रेड क्रॉस के नाम पर खुली लूट व गुंडागर्दी

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा के आदेश पर पिछले कई वर्षों से ज़िला उपायुक्तों द्वारा राममेहर हुड्डा को जो अपने आप को सीएम का भतीजा बताता है, इस ज़िले में रेडक्रॉस के नाम पर वाहन चालकों को लूटने व मारने-पीटने का ठेका दिया हुआ है। ठेके की शर्तों के अनुसार ज़िले की ट्रैफ़िक पुलिस सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों का चालान करके उन्हें राममेहर की क्रेनों द्वारा वहां से उठवायेगी। इस चालान का जुर्माना 500 रुपया होगा। इसमें से 100 रुपया पुलिस के खाते में जायेगा, 100 रुपया बतौर मज़दूरी राममेहर को मिलेगी तथा शेष 300 रुपया रेड क्रॉस के खाते में जायेंगे।

लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पहली बात तो यह कि राम मेहर के पास ऐसी कोई क्रेन ही नहीं है जो किसी भरे ट्रक को खींच सके। दूसरे, इसके अपने गुंडे खुद ही जिस मर्ज़ी फ़ैक्ट्री के गेट पर खड़े किसी भी निकलते बड़ते ट्रक को घेर लेते हैं और बिना पुलिस के ही सारी कार्यवाही खुद ही कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ट्रक को पकड़ कर, गुंडागर्दी से उसी के ड्राइवर से चलवा कर उसे थाना सेंट्रल के बगल में ला खड़ा करते हैं। ट्रक को पकड़ते ही सबसे पहला काम यह करते हैं कि उसके सारे दस्तावेज़ (रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस) आदि अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। इनको 500 रुपया दे कर जब गाड़ी छोड़ने की बात आती है तब ये लोग़ उसके दस्तावेज़ों में कमियां निकालते हैं और उसके पैसे अलग से वसूल करते हैं।

दिनांक 3 जनवरी को भी जब राममेहर का गुंडा गिरोह सड़कों पर शिकार की तलाश कर रहा था तो गुडयीयर टायर कंपनी के गेट पर इन्हें एक ट्रक मिल गया जो कंपनी का माल ले कर आया था।ड्राइवर माल के काग़ज़ात गेट पर बैठे सिक्योरिटी वालों।के दिखा ही रहा था कि इन शिकारियों ने ट्रक को दबोच लिया। इनकी क्रेन से तो वह खिंच नहीं पा रहा था तो ड्राइवर के आने पर उसे बाध्य करने लगे कि वह ट्रक को उनके साथ लेकर चले। ड्राइवर ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया तो इस गुंडा गिरोह ने उसकी कुटाई-पिटाई कर दी। ड्राइवर हिम्मत कर के जैसे-तैसे सीधे थाना सेंट्रल पहुंच गया जहां इत्तफ़ाक से डीसीपी सेंट्रल शशांक आनंद थाने की जांच-पड़ताल कर रहे थे। ड्राइवर की फ़रियाद सुन कर उन्होंने तुरंत राममेहर के गुंडा गिरोह के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करके कड़ी कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये।

पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सारे गुंडों को हिरासत में ले लिया, लेकिन राममेहर किसी तरह 'ऊपर' संपर्क करने में कामयाब हो गया, जिसके चलते यह गिरोह मुकदमा दर्ज़ होने से तो बच गया,

शेष पेज 2 पर

सीजेआई के मुंह पर एक और तमाचा

विशेष प्रतिनिधि

भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की इस महत्वपूर्ण पद पर रहते जो छीछालेदर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में किसी की नहीं हुई। पद से हर चुकने के बाद तो अनेकों न्यायाधीश के क्रिया कलापों का पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन पद पर बने रहने के दौरान ही जो कुछ बाला-कृष्णन के साथ हो रहा है वह किसी के साथ नहीं हुआ।

गत सप्ताह आरटीआई एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय तो सीधे-सीधे सीजेआई के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। विदित है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी आरटीआई एक्ट के दायरे में आता है। इस मुदकमें में एक तरफ़ तो एक जनसाधारण खड़ा था तो दूसरी ओर भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा फ़ैसला करने वाले उनसे (सीजेआई से) कनिष्ठ। आधी सी प्रतिष्ठा तो सीजेआई की उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन उनकी ओर से उनका वकील हाईकोर्ट में पेश हुआ था और रही सही कसर इस फ़ैसले ने पूरी कर दी। लेकिन अपनी इस फ़जीहत से अभी सीजेआई को संतुष्टि हुई नहीं लगती।

जानकारों के मुताबिक अभी वे सुप्रीम कोर्ट के सभी 28 जजों की प्रशासनिक बैठक बुलाकर विचार करेंगे जिसमें मुद्दा यह होगा कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जाए या नहीं। यदि अपील डालने का निर्णय लिया गया तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही वादी होगी और स्वयं ही न्यायाधीश की भूमिका निभाएगी, जो अपने आप में एक अति विचित्र और हास्यास्पद स्थिति होगी। लेकिन जानकारों को आशा है कि उक्त 28 जजों में से कुछ बुद्धिमान जज इस विचित्र स्थिति को पैदा होने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर सीजेई कार्यालय में ऐसा क्या है जो वे जनता से छिपा कर रखना चाहते हैं। यहां गौरतलब बात यह है कि आरटीआईएक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक मामलों संबंधित जानकारी मांगने की कोई मांग नहीं है, केवल उसके कार्यालय से संबंधित जानकारी मांगने की बात है।

आरटीआई एक्ट के द्वारा देश की जनता जानना चाहती है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे जज साहेबान भीतर ही भीतर क्या क्या घोटाले कर रहे हैं। वैसे घोटालों की महक तो बाहर स्वतः भी आ ही जाती है, लेकिन उन घोटालों को आधिकारिक तौर पर खुद घोटाले करने वालों के मुंह से सुनने और उन्हें शर्मसार करने के लिए आरटीआई एक्ट का लागू होना जरूरी है। बस इसी बात से सीजेआई साहब बचना चाहते हैं।

आरटीआई एक्ट लागू होने से सीजेआई की सबसे पहली पोल तो यह खुली कि इनकी पत्नी 12 से 18 अक्टूबर 2009 को डबलिन और लंदन की यात्रा पर रहीं और वहां स्थित भारतीय दूतावास से इन्होंने दैनिक भत्ता, जिसकी वह हकदार नहीं थीं, प्राप्त किया, जाहिर है सीजेआई ने अपने पद का रौब दिखाकर यह पैसा दूतावास से वसूल कर लिया और बदले में यह आश्वासन दे दिया कि वह दिल्ली जाकर विधि एवं वित्त मंत्रालय से इस धन को स्वीकृत करा देंगे। सीजेआई ने इस बाबत मंत्रालय को लिखा भी, लेकिन मंत्रालय ने इस तरह के किसी भत्ते को अनुमोदित करने से साफ़ इन्कार कर दिया।

आरटीआई की मेहरबानी से सामने आया यह तो केवल एक छोटा सा घोटाला है, जिससे किसी जज की सेहत पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन यह कोई अंतिम खुलासा नहीं है। इस एक्ट के लागू होने से और न जाने कितने घोटाले सामने आएंगे, जिनकी चिंता सीजेआई को खाए जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इतने ऊंचे स्तर पर इस तरह की अनियमितताओं और घोटालों को सामने लाने से न्यायालयों की रोजमर्रा की कार्रवाई पर कतई कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं, जिसकी दुहाई बार-बार सीजेआई दे रहे हैं। असर पड़ रहा है तो इनकी व्यक्तिगत छवि पर। कोर्ट के ऊंचे आसन पर बैठकर ऊंची ऊंची बात करने वाले इन जजों का व्यक्तिगत स्तर कितना नीचा हो सकता है, यह जनसाधारण को दिख सकेगा।